

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-122 / 2017  
संस्थित दिनांक-21.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

यूनिश शाह उर्फ यूसिफ पुत्र मकबूल शाह उम्र 32 साल  
निवासी बुनकर कालोनी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 03.04.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 324, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 03.02.2017 को शाम 19:00 बजे से 19:05 बजे के मध्य स्थान बुनकर कालोनी तहसील चंदेरी में फरियादी सिकन्दर शाह को मां-बहन गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सिकन्दर शाह के साथ लात एवं चाकू से जो कि काटने के उपकरण है, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.02.2017 को शाम 07:00 बजे फरियादी सिकन्दर को युनिश शाह उसके घर के सामने मिला। सिकन्दर ने यूनिश से कहा कि मेरी घरवाली की मरने की झूठी रिपोर्ट क्यों दे रहे हो, इसी बात पर से यूनिश शाह ने सिकन्दर मां बहन बुरी बुरी गालिया दी, गालियां देने से मना किया तो यूनिश शाह ने पेन्ट की जेब में रखा छुरा निकाल कर मार दिया। जिससे सिकन्दर के गुप्तांग में चोट होकर खून निकलने लगा और लात मार दी, जो सिकन्दर के बाये हाथ की कोहनी में लगी है। सिकन्दर को मुस्लिम पठान ने बचाया व घटना देखी। यूनिश ने जाते जाते कहा कि थाने गया रिपोर्ट करने तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी सिकन्दर द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-36/2017 अंतर्गत धारा-294, 323, 324, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-03.04.2018 को फरियादी सिकन्दर शाह ने अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए उक्त राजीनामों के आधार पर अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा-294, 323, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा-324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04- अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष हैं उसे झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

|    |  |
|----|--|
| 1. | क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.02.2017 को शाम 19:00 बजे से 19:05 बजे के मध्य स्थान बुनकर कालोनी तहसील चंदेरी में फरियादी सिकन्दर शाह के साथ चाकू से जो कि काटने के उपकरण है, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ? |
| 2. | दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?   |

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06-अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र साक्षी मुस्लिम पठान (अ0सा0-01) व फरियादी सिकन्दर शाह (अ0सा0-02) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी सिकन्दर (अ0सा0-02) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त उसका जीजा है, उसके कथन देने से एक साल पहले शाम के समय जीजा से उसकी गाली-गलौच व वाद-विवाद हो गया था, जिसमें केवल मुंहवाद हुआ था तथा मारपीट की कोई घटना नहीं हुई।

07-फरियादी सिकन्दर शाह (अ0सा0-02) अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त से घटना दिनांक को शाम के समय विवाद होना तो स्वीकार करता है, परन्तु उक्त विवाद में अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट कर उपहति कारित की, इस संबंध में फरियादी सिकन्दर (अ0सा0-02) के कथन अभियोजन घटना के विपरीत होकर प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 व पुलिस को दिये गये कथन प्र.पी.-03 व 04 से मेल नहीं खाते है। फरियादी सिकन्दर शाह (अ0सा0-02) का कहना है कि घटना में केवल मुंहवाद हुआ था और जब वह रिपोर्ट करने जा रहा था, तो रास्ते वह पत्थर पर गिर जाने से उसके गुप्तांग व बाये हाथ में चोट आई थी। अतः सिकन्दर (अ0सा0-02) के अनुसार घटना दिनांक को उसके गुप्तांग में व बाये हाथ में चोट अवश्य आई थी, परन्तु उक्त उपहति अभियुक्त के द्वारा कारित नहीं की गई।

08-सिकन्दर शाह (अ0सा0-02) को द्वारा अभियुक्त ने घटना में फरियादी को चाकू से कोई उपहति कारित की थी, के संबंध में सिकन्दर शाह (अ0सा0-02) जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार स्वयं फरियादी होकर आहत हैं, अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं करता है तथा स्वयं को आई चोटें गिरने से आना बताता है। वहीं अभियुक्त के द्वारा

मारपीट की घटना से भी इन्कार करता है। सिकन्दर शाह (अ0सा0-02) के न्यायालय में दिये गये यह कथन कि घटना में केवल मुहवाद हुआ था तथा उसे चोट गुप्तांग व बाये हाथ में पत्थर पर गिरने से आई थी, अभियोजन घटना से मेल नहीं खाते हैं जिससे न्यायालीन कथन एवं प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 व पुलिस को दिये गये कथन प्र.पी.-03 व 04 में वर्णित घटना में स्पष्ट विरोधाभास देखा जा सकता है जो कि आरोपित अपराध के संबंध में होने से तात्त्विक स्वरूप का है।

09—सिकन्दर शाह (अ0सा0-02) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु सिकन्दर शाह (अ0सा0-02) ने अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा अपने कथनों में ही इस घटना का खण्डन किया है कि अभियुक्त ने जेब से लोहे का चाकू निकाल कर उसे गुप्तांग में चोट पहुंचाई। यह साक्षी इस संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट न करना व कोई कथन न देना स्पष्ट तौर पर अपने कथनों में कहता है। अभियोजन के अन्य साक्षी मुस्लिम खानं (अ0सा0-01) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया तथा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है।

10—अतः फरियादी सिकन्दर शाह (अ0सा0-02) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में स्वयं को आई चोटें पत्थर पर गिरने आई बताने से एवं घटना में अभियुक्त से केवल मुहवाद होने बताने से व मुस्लिम खान (अ0सा0-01) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से इन्कार करने से आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का पक्ष प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो कि निश्चित रूप से प्रकरण में हुये राजीनामों का परिणाम हो सकती है।

11—प्रकरण में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.-01 उसमें वर्णित घटना सारभूत साक्ष्य नहीं होती है, मात्र रिपोर्ट का प्रदर्शित होना उसमें वर्णित घटना का अपने आप में उसमें वर्णित घटना के सत्य होने का निश्चायक प्रमाण नहीं होता है। प्र.पी.-01 की रिपोर्ट में वर्णित घटना को विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता था, परन्तु स्वयं फरियादी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने से एवं अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन देने से साक्ष्य के अभाव में प्र.पी.-01 में वर्णित घटना प्रमाणित नहीं होती है।

12— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 03.02.2017 को शाम 19:00 बजे से 19:05 बजे के मध्य स्थान बुनकर कालोनी तहसील चंदेरी में फरियादी सिकन्दर शाह के साथ चाकू जो कि काटने के उपकरण है, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

- 13- फलतः अभियुक्त यूनिश शाह उर्फ यूसिफ पुत्र मकबूल शाह को भा.द.वि. की धारा 324 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा.द.वि. की धारा 324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14-अभियुक्त धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)